



2026:AHC-LKO:922-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 8/2026

शेखर गौतम

...याचिकाकर्ता/कर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, राजस्व, लखनऊ एवं 9 अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – कृष्ण कुमार तिवारी

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता , पंकज गुप्ता

न्यायालय संख्या – 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय
माननीय न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी

- यह पूछे जाने पर कि क्या पूर्व याचिकाकर्ता, जिसने रिट याचिका संख्या 11041/1995 दायर की थी, अर्थात् रामावती, इस जनहित याचिका को दायर करने वाले याचिकाकर्ता की सास हैं, जैसा कि अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता सुश्री आकांक्षा दुबे ने सूचित किया, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपने मुवक्किल से टेलीफोन पर निर्देश प्राप्त किए और फिर न्यायालय से जनहित याचिका को वापस लिए जाने के आधार पर खारिज करने का अनुरोध किया, क्योंकि वास्तव में वह याचिकाकर्ता की सास हैं।
- याचिका वापस लिए जाने के आधार पर खारिज की जाती है।
- याचिकाकर्ता द्वारा इस विषय पर कोई जनहित याचिका दायर नहीं की जाएगी क्योंकि उसका अपनी सास के साथ संबंध से जुड़ा एक व्यक्तिगत हित है, जिसका प्रश्नगत गाटा अर्थात् गाटा संख्या 276 के संबंध में प्रत्यक्ष व्यक्तिगत हित है।

(न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति राजन रॉय)

7 जनवरी, 2026

अनुज सिंह

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।